(85)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं /2017 ~~पुनर्विलोकन~~ पुनरीक्षण R 1322-I-17

1. श्रीमती अहिल्यादेवी पत्नी श्यामलाल गुप्ता
2. श्रीमती शिव देवी पत्नी छत्रपाल गुप्ता

दोनों निवासगण छुईखदान वार्ड नं. 33, छतरपुर तह. व जिला छतरपुर

..... आवेदिकागण

श्री मुकेश भार्गव, अभि० द्वारा आज दि. 5-5-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 5-5-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी पुत्र रामकिशुन चतुर्वेदी
2. श्रीमती प्रभा देवी पुत्री श्री प्रसाद पाठक

दोनों निवासीगण महावीर कॉलोनी, नया पन्ना नाका छतरपुर तह. व जिला छतरपुर

3. म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

मुकेश भार्गव
5-5-17 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार तहसील छतरपुर द्वारा प्र.कं. 46/अ–12/10–11 में पारित आदेश दिनांक 28.6.11 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षा।

माननीय महोदय,

आवेदिकागण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

संक्षिप्त तथ्य –

1– यह कि, अनावेदक राजेन्द्र प्रसाद एवं श्रीमती प्रभा देवी ने मौजा छतरपुर में स्थित भूमि ख.नं. 3486/2 रकवा 4.000 है0 भूमि का सीमांकन कियेजाने बावत दिनांक 19.02.2009 को तहसीलदार छतरपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। अनावेदकगण की भूमि से लगी हुई भूमि ख.नं. 3486/1 रकवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1322–एक/17 जिला–छतरपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित होकर तहसीलदार तहसील छतरपुर के प्रकरण कमांक 46/अ–12/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 28.6.2011 के विरूद्व यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ धारा 5 का आवेदन, शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 6 वर्ष विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके। समयाविधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। सदस्य	